केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
9 वीं मंजिल, फेस 1 बिल्डिंग, फिल्म प्रभाग परिसर, 24, डॉ. जी. देशमुख मार्ग, मुंबई – 400026

सं.एम/23/2026 दिनांक: 26-10-2026

परामर्श

चलचित्र अधिनियम, 1952 और चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 2024 के तहत फिल्मों/कंटेंट के प्रमाणन के लिए आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को निम्नलिखित सलाह दी जाती है:

1. **पूर्ण अंतिम संस्करण अनिवार्य**: परीक्षण और प्रमाणन के लिए जमा की गई फिल्में हर तरह से अपने पूर्ण और अंतिम रूप में होनी चाहिए। इसमें अंतिम ग्राफिक्स (शीर्षक, क्रेडिट, उप-शीर्षक, डिस्क्लेमर, सेंसर प्रमाण पत्र स्लेट आदि), अंतिम बैकग्राउंड स्कोर/म्युजिक, साउंड मिक्स, और अंतिम थिएट्रिकल/प्रदर्शन संस्करण के लिए जरूरी सभी एक्सेसिबिलिटी फीचर्स (जैसे क्लोज्ड कैप्शन, श्रवण-बाधित लोगों के लिए उप-शीर्षक, और जहां लागू हो, वहां ऑडियो विवरण) शामिल होने चाहिए। केवल वही फिल्म सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जा सकती है जिसे सीबीएफसी द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो।

2. **शीर्षक को अंतिम न माना जाए** : निर्माता/आवेदक द्वारा आवेदन में दिया गया फिल्म का शीर्षक (ट्रेलर, टीज़र या प्रोमो सहित) अंतिम नहीं माना जाएगा। केवल आवेदन जमा करने या पंजीकरण कराने मात्र से इसे स्वीकृत नहीं माना जा सकता। चलचित्र अधिनियम, 1952 (समय-समय पर संशोधित) की धारा 5ख(1) के तहत जारी दिशानिर्देशों और चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 2024 के नियम 25 के अनुसार, परीक्षण समिति/पुनरीक्षण समिति (EC/RC) इस शीर्षक की जांच, समीक्षा और इसमें बदलाव कर सकती है। निर्माताओं/आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे प्रमाणन मिलने से पहले किसी शीर्षक का प्रचार न करें या उसे अंतिम मानकर कोई प्रतिबद्धता न दें।

3. **अधूरे/ प्रक्रियाधीन प्रिंट स्वीकार्य नहीं है**: यदि आवेदन के साथ अधूरे प्रिंट, अस्थायी/ प्लेसहोल्डर ग्राफिक्स, कच्चे (scratch) या अस्थायी संगीत स्कोर, या जरूरी एक्सेसिबिलिटी फीचर्स न हों, तो ऐसे आवेदन को नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। इसके कारण आवेदन में देरी हो सकती है, आवेदन वापस किया जा सकता है, या उसे खारिज भी किया जा सकता है। आवेदन तभी पूर्ण माना जाएगा जब सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए जाएं और सभी निर्धारित औपचारिकताओं को पूरा कर लिया जाए। जिस तारीख को आवेदन 'पूर्ण' के रूप में स्वीकृत होगा, उसी तारीख को आवेदन की प्राप्ति तिथि माना जाएगा, और इसी आधार पर आवेदन को जांच के लिए कतार (queue) में रखा जाएगा।

4. **रिलीज़ की तारीख़, प्रक्रिया को तेज़ करने का आधार नहीं है:** किसी फ़िल्म या ट्रेलर/टीज़र के लॉन्च की प्रस्तावित या घोषित रिलीज़ तारीख़ को, प्रमाणन आवेदनों पर विचार करते समय ध्यान में नहीं रखा जाएगा। प्रमाणन प्रक्रिया मौजूदा अधिनियम और नियमों में तय की गई प्रक्रिया और समय-सीमा के अनुसार ही पूरी की जाएगी, चाहे निर्माता/आवेदक ने कोई भी रिलीज़ तारीख़ तय की हो या उसका प्रचार किया हो। फ़िल्म की जांच, समीक्षा और प्रमाणन (जिसमें परीक्षण समिति/पुनरीक्षण समिति द्वारा बताए गए बदलाव, कट या संशोधन शामिल हैं) एक निर्धारित प्रक्रिया है, जिसके लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। आवेदकों को यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि उनके द्वारा स्वयं तय किए गए रिलीज शेड्यूल के कारण वैधानिक या प्रक्रियात्मक समय-सीमाओं में कोई कटौती की जाएगी, और इसके लिए बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा।

5. **पूर्व नियोजन आवश्यक है:** सभी निर्माताओं/आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी फिल्म की प्रस्तावित रिलीज तिथि से काफी पहले आवेदन जमा करें। आवेदन जमा करते समय जांच-पड़ताल, समिति की समीक्षा और बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में लगने वाले समय को ध्यान में रखें।

सभी आवेदकों से सहयोग की अपेक्षा है कि वे 'चलचित्र अधिनियम, 1952', 'चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 2024' और अन्य लागू दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें। ऐसा करने से बोर्ड अपने वैधानिक कार्यों को सुचारू रूप से पूरा कर सकेगा और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक तथा समय पर संपन्न करने में मदद मिलेगी।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(राजेंद्र सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. सभी निर्माताओं/फिल्म उद्योग संघों को सूचना और अनुपालन हेतु।
2. सभी क्षेत्रीय अधिकारी, सीबीएफसी।
3. नोटिस बोर्ड / आधिकारिक वेबसाइट।